फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

नाथूराम बनाम चुतराराम

किस्म मुकदमा .....225 आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....125.....सन....2022....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
9/11/22	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा मुकदमा संख्या 119/2022 बउनवान चुतराराम बनाम अमराराम में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 11 ने एक वाद वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत कर घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 39 नियम 3ए की घौर अवहेलना कर जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट जैर अपील आदेश की आड में अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी, प्रकरण में इन हालातो में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 18.07.2022 पारित कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किए। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करने के पश्चात आगामी तारीख पेशी ही दो माह पश्चात नियत की है, जो विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जबकि विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है एवं अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन है। यदि वादस्थ भूमि में पक्षकारो के मध्य बिना विधिक बंटवारे के किसी विशिष्ट भू भाग का बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत या मौके पर किसी विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण व खूर्द बुर्द किया जाता है तो निश्यय ही वाद–बाहुल्यता बढ़ेगी। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी में किसी विशिष्ठ भू–भाग का बेचान, हस्तान्रण, रहन, वसीयत आदि व मौके पर किसी विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण नहीं करे। तद्नुसार सहायक कलेक्टर जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 119/2022 बउनवान चुतरराम बनाम अमरराम में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली